प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 4

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष .. 2021.....
प्र. इ. रि. स. .....95/22..... दिनांक .....23/3/22.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....441.....समय.....6:30 pm.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 30.08.2021.... समय दोपहर. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 29.08.2021 समय.....01.00 पीएम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण–पूर्व 8 किमी .....
(ब) पता – कनिष्ठ अभियंन्ता, दौराई रेल्वे स्टेशन अजमेर, बीट सख्या .....
जरायमदेही स.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री महेन्द्र कुमार.....
(ब) पिता का नाम श्री प्रेमराज .....
(स) जन्म तिथि / वर्ष 55 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने को तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... ..... अध्यापक.....
(ल) पता ... नेहरु गेट विटठ्ल बस्ती, चिमन सिंह लोढा गली, ब्यावर, अजमेर हाल अध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विधायल नीमझर, तहसील देवगढ जिला, राजसमन्द .....
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्री अफजल खान पुत्र श्री मौहम्मद यसिन, निवासी लोधा का बाडिया पोस्ट कलाड तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल ट्रेकमेन्टेनर–IV / ट्रोली मैन अधीन एसएसई / पीडब्ल्यू / बागड ग्राम, उतरी पश्चिम रेलवे मण्डल अजमेर
8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा में, श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर विषय रिश्वत मांगने की शिकायत के संबंध में। "निवेदन है कि मेरा नाम महेन्द्र कुमार जूनवाल है तथा मैं नेहरू गेट विटठल बस्ती ब्यावर जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। करीब पांच–छः महिने पहले मेरी मुलाकात ब्यावर के पास गढी थोरीयान गांव (बायला) के रहने वाले अफजल खान से जान–पहचान हुयी। अफजल ने स्वयं को रेलवे स्टेशन दौराई अजमेर पर कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदस्थापित होना बताया। उसने मुझे कहां कि रेलवे में महेश मीणा जो अजमेर में बडे पद पर लगे हुए है उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। उसने मुझे कहा कि इनके पास एक पद हेतु स्थायी नौकरी लगाने की पावर है। इस सन्दर्भ में मैं मेरे बेटे मनीष कुमार जूनवाल की नौकरी की बात हुयी, तो उसने कहा कि पहले बंगला पीऑन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रूप मे दो–तीन साल का अनुभव बताकर रेलवे में ग्रुप डी में मेरे बेटे को भर्ती का रखने का वायदा किया एवं सवा तीन लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है। अफजल ने एक आवेदन फार्म भी भरवाया तथा रेलवे अस्पताल से मेडिकल फिट का प्रमाण पत्र जिनकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न है। उसने मुझसे सवा तीन लाख रूपये मांगे तब मेने मेरे खाता संख्या 0376514000065 यस बैंक देवगढ राजसमन्द का राशि 3,25,000 रू0 दिनांक 09.06.21 का चैक दिया जो उसने बैंक में लगा दिया। परन्तु मेरे खाते में पैसे नहीं होने के कारण वो चैक क्लीयर नहीं हो सका। श्री अफजल मेरे पुत्र श्री मनीष कुमार जूनवाल को ग्रुप डी रेलवे में लगवाने की एवज में 3,25,000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसे रिश्वत नहीं देकर

रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कार्यवाही करें।" प्रार्थी महेन्द्र कुमार जूनवाल, नेहरु गेट बाहर विट्ठल बस्ती ब्यावर अजमेर, दिनांक 29.08.2021 मो0न0 9414739097

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय 01.00 पीएम दिनांक 29.08.2021

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेमराज जाति रेगर उम्र 55 साल निवासी नेहरु गेट विटठ्ल बस्ती, चिमन सिंह लोढा गली, ब्यावर, अजमेर हाल अध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विधायल नीमझर, तहसील देवगढ जिला, राजसमन्द ने उपस्थित कार्यालय होकर मन पुलिस निरीक्षक मीरा बेनीवाल के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया तो सही होना स्वीकार किया। परिवादी से दरियाफत की तो बताया कि "दौराई रेल्वे स्टेशन पर कार्यरत श्री अफजल खान, कनिष्ठ अभियंता मेरे बेटे मनीष कुमार को रेल्वे के बडे अफसर श्री महेश मी णा को व्हकर उसके नाम से 3.25 लाख रुपये रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ।" परिवादी से दरियाफ्त की गई तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि श्री अफजल खान कनिष्ठ अभियन्ता मेरे बेटे मनीष कुमार को रेलवे के बडे अफसर श्री महेश मीणा को कहकर उसके नाम से 3.25 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। जो मैं नहीं देना चाहता हूँ। मेरी श्री अफजल से कोई रंजिश व उधार का लेन–देन बकाया नहीं हैं। दिनांक 30.08.21 को परिवादी के उपस्थित आने पर परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर ऑपरेट करना समझाकर मय मैमारी कार्ड के सुपुर्द कर कानिस्टेबल त्रिलोक सिंह नं0 24 को भेजकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु भिजवाया। जिस पर अफजल खान ने 3.25 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर परिवादी ने उसे 50,000 रू0 की व्यवस्था कर दो–तीन दिन में देने के लिए कहा तथा बाकि पैसे बाद में देने के लिए कहा। वॉइस रेकार्डर में रेकार्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी ने रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 05.09.21 तक उपस्थित आने का कहा। जिस पर परिवादी को रूख्स्त किया गया। दिनांक 04.09.21 को परिवादी से जरिए दूरभाष वार्ता हुयी तो उसने अप्ना एम्स जोधपुर में ऑपरेशन होना बताते हुए दिनांक 08.09.21 तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। दिनांक 08.09.21 को श्री महेन्द्र कुमार परिवादी उपस्थित कार्यालय आया तथा दो स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री पीयूष पारीक सहायक द्वितीय एवं श्री दिनेश सक्सैना सहायक प्रथम संस्थापन शाखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के उपस्थित आने पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय कराया तथा गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहने पर दोनें गवाहान ने स्वैच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी एवं गवाहान की मौजुदगी में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए तथा उक्त वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से दो डब सीडी आईओ व आरोपी हेतु तैयार की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में सिल्डचिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए। इसके बाद परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,000–2,000 रू0 के 25 नोट कुल 50,000 रू0 पेश किये। जिनके नम्बर फर्द में अंकित कर कार्यालय के श्री श्योपाल कानि0 नं0 272 से फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गए। दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को फिनोफ्थलीन पावडर व सोडियम कार्बोनेट पावडर की रासायनिक प्रक्रिया समझायी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए। तत्पश्चात परिवादी व गवाहान का सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों से आपस में परिचय कराया गया। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। परिवादी को लेन–देन वार्ता रेकार्ड करने हेतु डिजीटल वॉइस रेकार्डर सुपुर्द करना चाहा तो बताया कि मैं पहले अफजल खान से उसके मोबाईल नं0 9001190036 पर बात कर उसकी लोकेशन मालुम कर लेता हूँ। इत्त प्र वॉइस रेकार्डर का स्पीकर ऑन कर परिवादी के मोबाईल नं0 9414739097 से फोन मिलाकर वार्ता करायी तो आरोपी ने दौराई रेलवे स्टेशन पर बुलाया उक्त वार्ता रेकार्ड की गई एवं परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर ऑपरेट करना समझाकर सुपुर्द किया गया। इसके बाद नन् निरीक्षक पुलिस मय कैलाश कानि0, स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप–प्रिण्टर मय सरकारी वाहन मय चालक शिव सिंह कानिस्टेबल नं0 547 व श्री प्रभुलाल निरीक्षक पुलिस, श्री रामचन्द्र हैड कानि0, श्री